International Journal of Sanskrit Research 2023; 9(5): 162-165

International Journal of Sanskrit Research

अनन्ता

ISSN: 2394-7519
IJSR 2023; 9(5): 162-165
© 2023 IJSR
www.anantaajournal.com
Received: 02-08-2023
Accepted: 05-09-2023

Suraj Kumar Patel
Research Scholars, Gangadhar Meher University, Odisha, Inda

बौधायन धर्मसूत्र स्थित प्रायश्चित्त कर्म का सामाजिक उपयोगिता

Suraj Kumar Patel

DOI: https://doi.org/10.22271/23947519.2023.v9.i5c.2226

सारांश

संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है । इस भाषा में दुनियां की सबसे प्राचीन ग्रन्थ लिखा गया है । वेद, वेदाङ्ग, उपनिषद, पुराण यह सब इसी भाषा में लिखा गया है । षड् वेदाङ्गों में से कल्प वेदाङ्ग के अन्तर्गत धर्मसूत्र, गृह्यसूत्र, कल्पसूत्र, श्रौतसूत्र आते हैं, इनमें से प्रसिद्ध धर्म सूत्रों का नाम है- वसिष्ट, गौतम, बौधायन, आपस्तम्ब इत्यादि । धर्मसूत्रों का मुख्य विषय व्यक्ति के जीवन के आचार एवं कर्त्तव्य हैं । बौधायन धर्मसूत्र में कई सारी महत्त्वपूर्ण विषयों के बारे में वर्णन किया गया है, उनमें से एक प्रसिद्ध विषय है प्रायश्चित्त ।

हर किसी मनुष्य से जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसका बुरा असर हमारे जीवन में एवं हमारे द्वारा किये जाने बाले अच्छे कर्मों के ऊपर पडता है । जाने अनजाने में हुई गलतियों को हम प्रायश्चित्त करके सुधार सकते हैं। प्रायश्चित्त शब्द दो शब्दों की संयोग से बना है- 'प्रायः' जिसका अर्थ है तप एवं 'चित्त' अर्थात् संकल्प या दृढ विश्वास है।[1]इसका तात्पर्य यह है कि इसका सम्बन्ध तप करने के संकल्प से है या इस विश्वास से है कि इससे पापमोचन होगा । बौधायन धर्मसूत्र में कई सारे विषयों के प्रायश्चित्त के बारे में वर्णन है, उन विषयों में से कुछ विषय जिसका प्रायश्चित्त करना सामाजिक मनुष्यों के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, उन विषयों को इस शोधपत्र में स्थान दिया गया है । जैसे- चारोवर्णों के ऊपर अत्याचार करने से मनुष्य जिन पापों का भागिदार होता है, उन पापों के प्रायश्चित्त के लिए निर्दिष्ट कर्म, भ्रूणहत्या, मद्यपान के प्रायश्चित्त स्वरूप आदिष्ट कर्म । ब्रह्मचारी के द्वारा भूल होने पर उसके प्रायश्चित्त स्वरूप निर्दिष्ट कर्म । मनुष्यों का प्रमुख अङ्ग हैं ज्ञानेन्द्रियां, साधारण मनुष्य के ज्ञानेन्द्रियां हमेसा चञ्चल रहते हैं जिसके कारण मनुष्यों से गलतियां हो जाती हैं । ज्ञानेन्द्रियों से होनेवाली गलतियों को सुधारने के लिये विधिगत प्रायश्चित्त स्वरुप किन कर्मों का अनुष्ठान करना होता है यह सब विषयों को आधार करके प्रायश्चित्त के बारे में इस शोधपत्र में उल्लेख किया जाएगा । यह विषय न केवल समाज के लिए लाभदायक होगा अपितु आधुनिक युग में प्रायश्चित्त का औचित्य के बारे में सम्पूर्ण ज्ञान की भी उपलब्धि होती है । इस शोध पत्र में प्रायश्चित्त के अनेक आयाम को उपस्थापन करने का प्रयास किया गया है ।

कूटशब्दः प्रायश्चित्त, भ्रूणहा, चान्द्रायण, कृच्छव्रत, ब्रह्मचारी, कल्पसूत्र, श्रौतसूत्र

प्रस्तावना

संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। इस भाषा में दुनियां की सबसे प्राचीन ग्रन्थ लिखा गया है । वेद, वेदाङ्ग, उपनिषद, पुराण यह सब इसी भाषा में लिखा गया है । षड् वेदाङ्गों में से कल्प वेदाङ्ग के अन्तर्गत धर्मसूत्र,

Corresponding Author:
Suraj Kumar Patel
Research Scholars, Gangadhar Meher University, Odisha, Inda

[1]- प्रायोः नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । तपोनिश्चयसंयोगात्प्रायश्चित्तमिति स्मृतम् । अंगिरा (हरदत्त, गौ.२२/१; प्रायश्चित्तविवेक पृ.२)

गृह्यसूत्र, कल्पसूत्र, श्रौतसूत्र आते हैं, इनमें से प्रसिद्ध धर्म सूत्रों का नाम है- वसिष्ट, गौतम, बौधायन, आपस्तम्ब इत्यादि । धर्मसूत्रों का मुख्य विषय व्यक्ति के जीवन के आचार एवं कर्त्तव्य हैं । बौधायन धर्मसूत्र में कई सारी महत्त्वपूर्ण विषयों के बारे में वर्णन किया गया है, उनमें से एक प्रसिद्ध विषय है प्रायश्चित्त ।

हर किसी मनुष्य से जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसका बुरा असर हमारे जीवन में एवं हमारे द्वारा किये जाने वाले अच्छे कर्मों के ऊपर पडता है । जाने अनजाने में हुई गलतियों को हम प्रायश्चित्त करके सुधार सकते हैं। प्रायश्चित्त शब्द दो शब्दों की संयोग से बना है- 'प्रायः' जिसका अर्थ है तप एवं 'चित्त' अर्थात् संकल्प या दृढ विश्वास है।[2]इसका तात्पर्य यह है कि इसका सम्बन्ध तप करने के संकल्प से है या इस विश्वास से है कि इससे पापमोचन होगा । बौधायन धर्मसूत्र में कई सारे विषयों के प्रायश्चित्त के बारे में वर्णन है, उन विषयों में से कुछ विषय जिसका प्रायश्चित्त करना सामाजिक मनुष्यों के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, उन विषयों को इस शोधपत्र में स्थान दिया गया है ।

१. चारों वर्णों के हत्या के प्रायश्चित्त का स्वरूप

(क) ब्राह्मणों के हत्या का प्रायश्चित्त

भ्रूणहा द्वादश समाः ।[3] भ्रूण का अर्थ है यज्ञ । यज्ञ को धारण करने वाले विद्वान् ब्राह्मण का वध करने वाले व्यक्ति को भ्रूणहा कहा गया है। ब्राह्मण का वध करने वाला व्यक्ति प्रायश्चित्त स्वरुप कपाल (खोपडी) लेकर, चारपाई का एक पाया लेकर, गधे का धर्म धारण करते हुए वन में निवास करते हुए, श्मशान में मनुष्य की खोपडी को ध्वजा की तरह धारण करते हुए कुटी वनावे ओर उसी में निवास करे।

अपने पाप कर्म की घोषणा करते हुए केवल सात घरों से भिक्षा मांगे, जो कुछ मिले उसी से जीवन धारण करे और कुछ भी न प्राप्त होने पर उपवास करे । दुसरा उपाय बताया गया है-

> प्राणायामान् पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा ।
> जपेदधमर्षणं युक्तः पयसा द्वादश क्षपाः ॥[4]

अर्थात् प्राणायाम, पवित्र करने वाले वैदिक मन्त्रादि, व्याहृतियों, ओंकार तथा अधमर्षण मन्त्रों का वारह रात्रियों तक योगाभ्यास करते हुए, तथा केवल दुग्धाहार करते हुए जप करे । अथवा तीन रात्रियों तक गीले वस्त्रों को पहने हुए कोई आहार न करे केवल वायु पीकर रहते हुए जप करने पर शुद्धि हो जाती है ।

(ख) क्षत्रिय के हत्या का प्रायश्चित्त

क्षत्रिय का वध करने पर अपराधी व्यक्ति को प्रायश्चित्त स्वरुप राजा को एक हजार गाएं और एक साँड प्रदान करने से उस पाप से मुक्त होता है। और दुसरा उपाय कहा गया है-नव समा रजन्यस्य ।[5]

क्षत्रिय की हत्या करने पर अपराधी व्यक्ति नौ वर्ष का प्रायश्चित्त करे ।

(ग) वैश्य के हत्या का प्रायश्चित्त

वैश्य की हत्या करने पर अपराधी व्यक्ति राजा को सौ गायें तथा एक साँड प्रायश्चित्त स्वरुप दान करे । दुसरा उपाय कहा गया है-तिस्रो वैश्यस्य ।[6] अर्थात्-वैश्य की हत्या करने पर तीन वर्ष का प्रायश्चित्त करे।

(घ) शूद्र के हत्या का प्रायश्चित्त

शूद्र की हत्या करने पर अपराधी व्यक्ति राजा को दस गायें तथा एक साँड प्रायश्चित्त स्वरुप राजा को दे । दुसरा उपाय कहा गया है-संवत्सरं शूद्रस्य स्त्रियाश्च ।[7] अर्थात् शूद्र का वध करने पर एक वर्ष का प्रयश्चित्त करे ।

२. राजा के लिए प्रायश्चित्त

यदि राजा के पास किसी भी विषय को लेकर न्याय मांगने कोई भी आए तो राजा को प्रधान साक्षी के वचन के अनुसार अपना निर्णय देना चाहिए। कहा भी गया है- स्मृतौ प्रधानतः प्रतिपत्तिः ।[8]

अगर राजा इससे भिन्न प्रकार से निर्णय करने पर वह राजा नरक में गिरता है । उस नर्क लोक से उध्दार होने के प्रायश्चित्त स्वरुप राजा को बारह दिन उष्ण दूध पीना पडता है अथवा कूष्माण्ड मन्त्रों से होम करना पडता है । कहा भी गया है- द्वादशरात्रं तप्तं पयः पिबन् कूष्माण्डर्वा जुहुयात् कूष्माण्डैर्वा जुहुयादिति।[9]

---

[2] प्रायोः नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । तपोनिश्चयसंयोगात्प्रायश्चित्तमिति स्मृतम् । अंगिरा
(हरदत्त, गौ.२२/१; प्रायश्चित्तविवेक पृ.२)

[3] बौधायन धर्मसूत्र- २.१.२ (P.N.-153)

[4] बौधायन धर्मसूत्र-४.२.७ (P.N.-373)

[5] बौधायन धर्मसूत्र-२.१.८ (P.N.-155)

[6] बौधायन धर्मसूत्र- २.१.९ (P.N.-156)

[7] बौधायन धर्मसूत्र-२.१.१० (P.N.-156)

[8] बौधायन धर्मसूत्र-१.१०.१७ (P.N.-138)

[9] बौधायन धर्मसूत्र-१.१०.१९ (P.N.-139)

३. ब्रह्मचारी के लिए प्रायश्चित्त-

यदि ब्रह्मचारी मांस भक्षण कर लेता है अथवा सभी प्रकार के व्रत भंग के समय उसे यह कर्म करना चाहिए । जैसे-घर के भीतर अग्नि के ऊपर समिध् रख कर उसका उपसमाधान करे, उसके चारों ओर कुश घास फैलाकर अग्निमुख तक की क्रियाओं को कर के घृत की आहुतियाँ इन मन्त्रों के साथ करे। यथा-"कामेन कृतं कामः करोति कामायैवेदं सर्वं यो मा कारयति तस्मै स्वाहा । मनसा कृतं मनः करोति
मनस एवेदं सर्वं यो मा कारयति तस्मै स्वाहा । इस प्रकार मन्त्रों के उच्चारण से ब्रह्मचारी पाप से मुक्त हो सकता है ।फिर ब्रह्मचारी के विषय में कहते हैं- ब्रह्मचर्य व्रत को भंग करने वाला ब्रह्मचारी अमावास्या की रात्रि की अग्नि का उपसमाधान करे और दार्विहोम की आरम्भिक क्रियाएँ कर के निन्मलिखित मन्त्रों का उच्चारण कर के हवन करे । यथा- "कामावकीर्णोऽस्म्यवकीर्णोऽस्मि काम कामाय स्वाहा । कामाभिद्रुग्धोऽस्म्यभिद्रुग्धोऽस्मि काम कामाय स्वाहा ।

४.स्त्री हत्या का प्रायश्चित्त

स्त्री हत्या के प्रायश्चित्त स्वरुप दो प्रकार के उपाय बताया गया है । प्रथम ब्राह्मणी स्त्री के हत्या के प्रायश्चित्त के स्वरुप का वर्णन करते हैं-आत्रेय्या वधः क्षत्रियवधेन व्याख्यात ।[10] ब्राह्मणी स्त्री आत्रेयी के वध का प्रायश्चित्त क्षत्रियवध के प्रायश्चित्त द्वारा बता दिया गया है । अर्थात्- जैसे क्षत्रिय वध के प्रायश्चित्त स्वरुप अपराधि व्यक्ति को राजा को एक हजार गायें और एक साँड दिया जाता है, वैसे ही ब्राह्मणी स्त्री आत्रेयी के वध के प्रायश्चित्त स्वरुप एक हजार गायें और एक साँड राजा को दिया जाए। ब्राह्मणी स्त्री को छोडकर अन्य स्त्री के हत्या के प्रायश्चित्त के स्वरुप का वर्णन करते हैं- शूद्रवधेन स्त्रीवधो गोवधश्च व्याख्यातः ।[11] शुद्रवध के प्रायश्चित्त के द्वारा ही स्त्री वध का प्रायश्चित्त भी समझना चाहिए । जैसे- शुद्रवध का प्रायश्चित्त स्वरुप दस गायें एवं एक साँड दिया जाता है, उसी तरह ब्राह्मणी स्त्री को छोडकर अन्य स्त्री के वध का प्रायश्चित्त स्वरुप दस गायें एवं एक साँड राजा को दिया जाता है ।

५. पशु हत्या का प्रायश्चित्त

जो गाय या वैल विशिष्ट यज्ञादि कार्य में उपयोगी होते हैं उनकी हत्या करने पर दस गायें और एक साँड राजा को दान में देने के साथ साथ अपराधी व्यक्ति चान्द्रायण व्रत करे । कहा भी गया है-वधे धेन्वनडुहोरन्ते चान्द्रायण चरेत् ।[12] दूसरे प्राणीय़ों के हत्या के प्रायश्चित्त स्वरुप कहते हैं-हंस, भास, मोर, चक्रवाक, प्रचलाक, कौआ, उल्लु, कण्टक, छुछुन्दर, मेढक, डेरिका, कुत्ता, वभ्रु, नेवला आदि का वध करने पर शूद्र की हत्या के लिये विहित प्रायश्चित्त होता है । अर्थात्- राजा को दश गायें और एक साँड प्रदान किया जाता है ।

६.सामाजिक कर्मों का प्रायश्चित्त

वह ज्येष्ट भ्राता जिसके अविवाहित रहते हुए ही छोटे भाई ने विवाह कर लिया हो, ज्येष्ट भ्राता के अविवाहित रहते हुए विवाह करने वाला, इस प्रकार विवाह करने वाले से विवाहित स्त्री, उस कन्या का विवाह के लिए दान करने वाला तथा इस प्रकार का विवाह कराने वाला पुरोहित ये सभी पाँच नरक में जाते हैं । इन पांचो व्यक्ति उस पाप के प्रायश्चित्त स्वरुप बारह दिन का कृच्छव्रत करने पर शुध्द होते हैं और जिस स्त्री का इस प्रकार विवाह हुआ हो वह तीन दिन उपवास करने पर शुध्द होती है । यथा कहा गया है-

> परिवित्तः परिवेत्ता या चैनं परिविन्दति । सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकप्रपञ्चाः ॥
> परिवित्तः परिवेत्ता दाता यश्चाऽपि याजकः । कृच्छद्वादशरात्रेण स्त्री त्रिरात्रेण शुध्दयतीति ॥[13]

७. पतनीय कर्मों का प्रायश्चित्त

ये पतनीय कर्म हैं, समुद्र की यात्रा करना, ब्राह्मण की सम्पत्ति या धरोहर रखी हुई वस्तु हडप लेना, भूमी के संबन्ध में झूठी गवाही देना, सभी प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय करना (चाहे वह निषिध्द हो या न हो), शूद्र की सेवा करना, शूद्रा स्त्री में गर्भाधान करना इनमें से कोई भी पतनीय कर्म करने पर प्रायश्चित्त के लिए भोजन की चौथी वेला को ही अन्य भोजन करे, तीनो सवन काल (प्रातः, मध्याह्न और सायं) स्नान करे, दिन में खडा रहे तथा रात्रि को बैठकर ही बितावे, इस प्रकार तीन वर्ष बिताने पर पतनीय कर्म का पाप नष्ट माना जाता है ।

[10] बौधायन धर्मसूत्र-१.१०.७ (P.N.-135)

[11] बौधायन धर्मसूत्र-१.१०.३ (P.N.-134)

[12]बौधायन धर्मसूत्र-१.१०.६ (P.N.-134)

[13] बौधायन धर्मसूत्र-२.१.३९ (P.N.-167)

उपसंहार

मनुष्य के जीवन में कर्म का बहुत महत्त्व है । अगर मनुष्य से जाने अनजाने में गलती हो जाती है तो उसे उसका प्रायश्चित्त करना चाहिए । प्रायश्चित्त के अनेक स्वरुपों के विषय में हमें समाज के लोगों को वताना चाहिए, जिससे वे उन पापों से मुक्त हो सकें । यहां कुछ लोगों का आक्षेप होता है कि वर्णों के आधार पर प्रायश्चित्त कर्म का स्वरुप भी अलग अलग होता है, जैसे ब्राह्मणों के लिये नियम कोहल कर दिया गया है ।'जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते' अगर हम इस सिध्दान्त को मानेंगे तो यह जो प्रायश्चित्त का स्वरुप है वह सभी के लिए उचित प्रतीत होगा ।

सहायक ग्रन्थ

१. काणे, पाण्डुरङ्ग वामन, धर्मशास्त्र का इतिहास, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, १९९२
२. बौधायन-धर्मसूत्रम, स्वामी,श्री गोविन्द, चौखम्बा विद्याभवन, १९७२
३. बौधायन्-धर्मसूत्रम, उमेशचन्द्र पाण्डेय, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, २०१७